

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय : सहायक कलेक्टर आमेर मु० जयपुर  
 ..... स. र. ज. बनाम ..... वगै०

केस संख्या : 18/20

विशेष विवरण

केस संख्या दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

29 3/22

पत्रावली प्रस्तुत। वकील ~~प्रस्तुत~~ <sup>प्राची</sup> उपस्थित। प्राची अधिवक्ता की अपील क्र. प्रि. पर खस सुनी गई। प्राची अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अप्राचीण प्राचीण के जबरन लेखल करवा द्याये है अतः अप्राचीण को कसबा निवेशाला से जाब्त किया गे।  
 इसके पत्रावली का अवलोकन किया। मूल वाद तकासमा/बंदाप से संबंधित है। पहलोर के मध्य विवाह होग है। प्राची के पक्ष में प्रथम इरया सुविधा का संबुलन प्रतीत होता है अतः उपपक्षों को वारिडे कसबा निवेशाला से जाब्त किया जाता है कि वि. आरणी भूमि खसरा नंबर 293 रकबा 0.70 हेक्टेयर वके ग्राह दोला का वास तक्षीय डाफे जिला जयपुर में मीके की प्रधारिचिती मूलवाप के निस्तारण तक बनाये रहे। पत्रावली फेजल शुमाट होक दामिल पदत है।

सहायक कलेक्टर  
 आमेर मु. जयपुर



श्रीमान्  
 प्रस्तुत है  
 पत्त